बीट व्यवस्था

Content

Time: 90 min

1. बीट प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में– स्थाई आदेश 1/2019 पत्रांक 1775–1865 दिनांक– 24.01.2019

अति–आवश्यक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांक :– CID/CB/PRC/परिपत्र/2019/1775-1865 दिनांक :– 24.01.2019

स्थाई आदेश संख्या– 1/2019

विषय :– बीट प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

जनता व पुलिस का आपसी समन्वय व सूझबूझ स्थापित करने तथा पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि के क्रम में सशक्त बीट प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक देशों की पुलिस सशक्त व प्रभावी बीट प्रणाली के आधार पर ही जनता में काफी लोकप्रिय है। प्रभावी बीट प्रणाली के द्वारा पुलिस थाने में पदस्थापित प्रत्येक पुलिस कर्मी को स्वतंत्र उत्तरदायित्व के साथ अनेक अधिकार प्रदत्त किये जाते है ताकि वह अपने बीट क्षेत्र के प्रति अपने कर्त्तव्य को समझकर उसका निवर्हन कर सके और जनता में पुलिस विभाग के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना का संचरण कर सके। इस प्रणाली में जहाँ वह एक ओर अपने बीट क्षेत्र में पुलिस थाने का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर बीट की जनता की दृष्टि में उनके प्रतिनिधि एवं मित्र के रूप में पुलिस थाने में कार्यरत रहता है।

अतः बीट प्रणाली के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुये तथा संपूर्ण राज्य में एकरूपता लाने के लिए इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 5010–5115 दिनांक 26.07.1988, 293–345 दिनांक 12.01.2000, 519–66 दिनांक 29.01.2004, 5104–5205 दिनांक 17.11.2009 एवं स्थाई आदेश संख्या 9 दिनांक 25.04.2014 के द्वारा दिये गये निर्देशों के व्यतिक्रमण में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :–

A. बीट की संख्या व क्षेत्र निर्धारण :–

1. प्रत्येक पुलिस थाने की बीट का पुनर्निधारण इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में कानि. की स्वीकृति नफरी के अनुरूप यथासंभव ग्राम पंचायत/वार्ड के आधार पर किया जाए व पद रिक्त होने की स्थिति में एक कानि. को एक से अधिक बीट का कार्य सौंपा जाए। बीट कानि. का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। जो 1 जनवरी से अगले वर्ष की 31 दिसम्बर तक होगा। बीट वितरण के आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस उपाधीक्षक को भी प्रेषित की जाए। भविष्य में बीट का पुनर्निधारण जिला पुलिस अधीक्षक की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
2. प्रत्येक कानि./महिला कानि. को, चाहे वह एल.सी., कोर्ट मुंशी या वायरलेस ऑपरेटर का कार्य ही क्यों न करता हो, पृथक बीट आवंटित की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि थाने का कोई भी पुलिस कर्मी बिना बीट क्षेत्र के नहीं रहे। कानिस्टेबल को आवंटित बीट में परिवर्तन दो वर्ष से पूर्व नहीं किया जा सकेगा। यदि कानि. स्थानान्तरण अथवा अन्य कारणों से थाने पर मौजूद नहीं रहता है तो बीट का प्रभार अन्य बीट कानि. को दिया जा सकेगा।

B. बीट कानि./बीट प्रभारी का मनोनयन :–

1. प्रत्येक कानि. स्वयं की बीट के अतिरिक्त एक बीट का लिंक कानि. होगा ताकि बीट कानि. की अनुपस्थिति में बीट का कार्य लिंक कानि. द्वारा किया जा सके व कार्य में निरन्तरता बनी रह सके। बीट कानि. के अवकाश अथवा लम्बी ड्यूटी पर बाहर जाने के समय लिंक कानि. को बीट का अतिरिक्त कार्य देखने हेतु पाबंद किया जाएगा व उसे बीट कानि. की अनुपस्थिति काल के लिए बीट बुक भी सम्भलाई जाकर रोजनामचा आम में रिपोर्ट अंकित की जाएगी, जिस पर दोनों कानि. के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। दो कानि. को आपस में एक दूसरे का लिंक कानि. नहीं बनाया जाए ताकि आगामी वर्षो में इनकी बदली के समय सुविधा रहे। उदाहरणस्वरूप बीट नम्बर 1 का लिंक बीट नम्बर 2 का लिंक कानि. एवं बीट नम्बर 2 का कानि. बीट नम्बर 3 का लिंक कानि. होगा। इस प्रकार बीट के एक समूह में क्रमवार अंतिम बीट का कानि. बीट नम्बर 1 का लिंक कानि. होगा।